प्रशिक्षण मॉडयूल

प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) निर्माण प्रक्रिया

Transform Rural India

प्रशिक्षण का संदर्भ

ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) ग्रामीण समुदायों की आकांक्षाओं और स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए गांवों में परिवर्तनकारी विकास को साकार करने का एक प्रभावी माध्यम है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम (1992) के अनुच्छेद 243G के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों को नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार प्राप्त है।

यह अनुच्छेद पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने की स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे गांव अपने विकास का मार्ग स्वयं तय कर सकें। इसी दिशा में, **मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993** राज्य की विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है। विशेष रूप से, इस अधिनियम की **धारा 54** ग्राम पंचायतों को भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपती है, जिससे राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ समन्वय करते हुए, स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार की जा सकें।

ग्राम पंचायत विकास योजनाएं सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जानी चाहिए, जिसमें विशेष रूप से **महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों** और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को गहराई प्रदान करती है, जिसमें **बच्चों सहित सभी नागरिकों** की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी संभव होती है।

नियोजन प्रक्रिया में जनसहभागिता को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2018 में **'सबकी योजना, सबका विकास'** पहल के अंतर्गत **'जन योजना अभियान'** (People's Plan Campaign - PPC) प्रारंभ किया गया। यह अभियान पंचायतों के सभी स्तरों — ग्राम, जनपद एवं जिला — पर सहभागी प्रक्रियाओं के माध्यम से पंचायत विकास योजनाओं की समयबद्ध और प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करने हेतु एक सुव्यवस्थित रणनीति है।

इसके अतिरिक्त, **पंचायती राज मंत्रालय** ने सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय स्तर पर लागू करने हेतु 17 एस.डी.जी. को 9 विषयगत क्षेत्रों में वर्गीकृत करते हुए एक **थीम आधारित दृष्टिकोण** अपनाया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2023-24 से पंचायतें विषयगत GPDP तैयार कर रही हैं। साथ ही, **पंचायत उन्नति सूचकांक** की शुरुआत से डेटा-आधारित योजना निर्माण को भी प्रोत्साहन मिला है। यह सूचकांक पंचायतों को स्थानीय सतत विकास विषयों (LSDGs) के संदर्भ में अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने, प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उन पर केंद्रित योजनाएं तैयार करने का अवसर प्रदान करता है।

विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के लिए पंचायत स्तर पर सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी आवश्यक होती है, जिसमें **निर्वाचित जनप्रतिनिधि, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता (FLWs), स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संगठन** और अन्य स्थानीय संस्थाएं शामिल हैं। यह प्रक्रिया सहभागिता, परामर्श और संसाधनों के अभिसरण (convergence) के माध्यम से संचालित होती है।

अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी हितधारक **पीपीसी अभियान के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं से भलीभांति परिचित** हों तथा यह सुनिश्चित करें कि अभियान की मूल भावना के अनुरूप, सभी की सक्रिय भागीदारी से बहुआयामी एवं समन्वित योजनाओं का निर्माण किया जाए।

प्रशिक्षण के उद्देश्य

प्रशिक्षण के अंत में, प्रतिभागी निम्नलिखित कार्यों में सक्षम होंगे:

- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की तैयारी के लिए आवश्यक विभिन्न हितधारकों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करना।
- गुणवत्तापूर्ण GPDP निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से समझना एवं **पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI)** पोर्टल का उपयोग कर अपनी पंचायत की रैंकिंग और स्कोर देख पाने में सक्षम होना।
- GPDP और VPRP योजनाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध विभिन्न संसाधनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करना।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिभागी निम्नलिखित होंगे:

- निर्वाचित जनप्रतिनिधि
- ग्राम पंचायत सचिव
- अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता (Frontline workers)
- स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

कार्यक्रम की अवधि: 02 दिन

प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा और एजेंडा

प्रथम दिवस		
समय	**विषय**	**प्रशिक्षण पद्धति और विवरण**
10:00 – 10:30	पंजीकरण	प्रतिभागियों का स्वागत और उपस्थिति पंजीकरण
10:30 – 10:45	परिचय एवं प्रशिक्षण का संदर्भ	• प्रशिक्षण के उद्देश्यों, पृष्ठभूमि और महत्व की व्याख्या • प्रशिक्षण के नियमों की स्थापना
10:45 – 11:30	माइक्रो लैब – "यहां और अभी" (चाय के साथ)	• आइस-ब्रेकिंग गतिविधि • प्रशिक्षण से अपेक्षाओं का संकलन
11:30 – 12:45	73वां संविधान संशोधन, स्थानीय शासन की भूमिका व प्रासंगिकता	• स्थानीय सरकारों की भूमिका, अधिकार, और प्रमुख हितधारकों की पहचान • समूह चर्चाएं व गतिविधियां
12:45 – 01:30	योजना और बजट: अवधारणाएं एवं सरकार की भूमिका	• योजना निर्माण की प्रक्रिया • प्राथमिकताओं की पहचान में समुदाय की भागीदारी
01:30 – 02:30	भोजन अवकाश	
02:30 – 04:00	**GPDP तैयारी की प्रक्रिया और हितधारकों की भूमिका**	• GPDP-VPRP की संरचना, चरण और संकल्प • PAI पोर्टल की जानकारी और GP रैंकिंग की चर्चा
04:00 – 04:15	चाय अवकाश	
04:15 – 05:30	**गतिविधि पहचान प्रक्रिया**	• बजटीय, गैर-बजटीय और कम बजटीय गतिविधियों का वर्गीकरण • स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका आदि क्षेत्रों में हस्तक्षेप हेतु विश्लेषण • पठन सामग्री का वितरण

द्वितीय दिवस		
समय	**विषय**	**प्रशिक्षण पद्धति**
10:30 – 11:00	पुनर्कथन	• पहले दिन सीखी गई बातों की पुनरावृत्ति • सूती धागा या गेंद के साथ विचार साझा करना
11:00 – 11:15	चाय अवकाश	
11:15 – 12:15	ग्राम पंचायत रिसोर्स एन्वेलप	• संसाधनों की उपलब्धता और अभिसरण की संभावना पर चर्चा • बिंदी खेल के माध्यम से संसाधन उपयोग पर गतिविधि

12:15 – 01:30	गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी: योजनाओं और बजट का मानचित्रण	• पिछली योजनाओं का विश्लेषण • बजट और विभागों के बीच संगति पर चर्चा
01:30 – 02:30	भोजन अवकाश	
02:30 – 03:45	**जीपीडीपी मसौदे की तैयारी**	• बजटीय कार्य योजना का मसौदा तैयार करना • वीपीआरपी-जीपीडीपी एकीकरण और समूह गतिविधि
03:45 – 04:30	जीपीडीपी अनुमोदन के लिए मॉडल ग्राम सभा और पोर्टल प्रदर्शन	• ग्राम सभा के मॉडल प्रदर्शन • पोर्टल की जानकारी और प्रदर्शन
04:30 – 5:00	**चिंतन, प्रतिक्रिया और समापन**	• फीडबैक, समापन और प्रशिक्षण का समापन

प्रशिक्षण किट की रूपरेखा

निम्नलिखित प्रशिक्षण किट को डिज़ाइन और विकसित किया जाएगा:

1. **हितधारक मानचित्रण – प्लैकार्ड:** 13 कार्ड, जिन पर विभिन्न हितधारकों के नाम अंकित होंगे।
2. **गतिविधि पहचान प्रक्रिया – क्षेत्रवार परिदृश्यों की चुनौतियाँ:** प्रतिभागियों द्वारा विश्लेषण के लिए प्रस्तुत।
3. **ग्राम पंचायत संसाधन लिफाफा – 'बिंदी खेल':** फ्लेक्स पर आधारित सहभागी गतिविधि।
4. **गुणवत्तापूर्ण GPDP – योजनाओं, बजट और विभागों का मानचित्रण:** एक 'पहेली खेल' के माध्यम से समझ विकसित करना।

प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था

- प्रशिक्षण के लिए एक बड़ा कक्ष, जिसमें यू-आकार की बैठक व्यवस्था या छोटे समूहों के लिए सुविधाजनक बैठने की व्यवस्था हो।
- आवश्यक उपकरणों में शामिल होंगे:
  - **प्रोजेक्टर** (पोर्टल प्रदर्शन हेतु)
  - **फ्लिप चार्ट, चार्ट पेपर, व्हाइटबोर्ड, मार्कर**
  - **फ्लैश कार्ड, स्टिकी नोट्स**
  - **लैपटॉप/कंप्यूटर**

विस्तृत सत्र योजना
पहला दिन

सत्र 1 - संदर्भ साँझा करना

15 मिनट

उद्देश्य:

प्रशिक्षण का सकारात्मक माहौल तैयार करना, सत्र के उद्देश्य स्पष्ट करना तथा सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु आधारभूत नियमों की स्थापना करना।

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे और स्वयं का संक्षिप्त परिचय देंगे। वे दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके उद्देश्यों और एजेंडे का परिचय प्रस्तुत करेंगे। सुविधाकर्ता , जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) की तैयारी प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान और राज्य स्तर पर जारी कानूनी आदेशों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। वे यह स्पष्ट करेंगे कि यदि जीपीडीपी को गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता के साथ तैयार किया जाए, तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है। सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को यह भी समझाएंगे कि भारत का 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, ग्राम पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने का अधिकार प्रदान करता है।

मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अनुसार, समुदाय की भागीदारी से विकास योजनाएं तैयार करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। प्रतिभागियों को यह जानकारी दी जाएगी कि इस दो दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान वे ऐसी योजनाएं बनाना सीखेंगे जो पंचायत की दृष्टि, सपनों और स्थानीय आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें। इन योजनाओं में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी—विशेषकर महिलाएं, बच्चे, हाशिए पर स्थित समूह, और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी—तथा संसाधनों की पहचान कर विभिन्न स्रोतों से उन्हें एकत्रित करने की विधियाँ समझाई जाएँगी।

आधारभूत नियम तय करना:

प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बनाए रखने हेतु कुछ आधारभूत नियमों की स्थापना आवश्यक है। इन नियमों को प्रतिभागियों के साथ साझा किया जाए:

- **समय का पालन:** सभी सत्रों में समय का अनुशासन बनाए रखें।
- **सम्मानजनक भागीदारी:** एक-दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक और सम्मानपूर्वक सुनें।
- **मोबाइल फोन का संयमित उपयोग:** हॉल के अंदर मोबाइल फोन का उपयोग न करें या उसे मौन (साइलेंट) मोड पर रखें।
- **सक्रिय भागीदारी:** प्रशिक्षण में सभी प्रतिभागियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

सत्र 2 - माइक्रो लैब: "यहां और अभी"

45 मिनट

उद्देश्य:

- प्रतिभागियों के बीच प्रारंभिक संकोच को दूर करना (आइसब्रेकिंग)।
- उन्हें सहज और आत्मविश्वासी महसूस कराना।
- आपसी विश्वास एवं जुड़ाव को बढ़ावा देना।
- प्रतिभागियों की अपेक्षाओं और पूर्व अनुभवों को जानना।

आवश्यकताएँ:

- 30–40 प्रतिभागियों के लिए खुली एवं सुरक्षित जगह, जहाँ वे स्वतंत्र रूप से घूम सकें।
- यदि संभव हो तो माइक और स्पीकर सिस्टम (बड़े समूह के लिए)।
- टाइमर या घड़ी।

सुविधाकर्ता के लिए नोट - माइक्रो लैब गतिविधि

माइक्रो लैब एक ऐसी संरचित गतिविधि है, जिसे प्रतिभागियों के लिए एक सुरक्षित और सहज वातावरण तैयार करने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जहाँ वे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकें और दूसरों के दृष्टिकोण को भी जान सकें।

यह प्रक्रिया प्रसिद्ध सामाजिक मनोवैज्ञानिक **कर्ट लेविन** द्वारा विकसित की गई है, और इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को मानसिक रूप से केंद्रित करना, प्रारंभिक अवरोधों को दूर करना और समूह के साथ गहराई से जुड़ने के लिए तैयार करना है।

यह गतिविधि चिंतन (Reflection) और मूवमेंट (Movement) के संयोजन से संचालित होती है और सत्र की विषयवस्तु की ओर धीरे-धीरे प्रतिभागियों को ले जाती है। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न व्यक्तिगत अनुभवों से शुरू होकर धीरे-धीरे व्यापक (मैक्रो) दृष्टिकोण तक जाते हैं।

इस सत्र का प्रमुख उद्देश्य किसी विषय विशेष पर जानकारी देना या समझ विकसित करना नहीं है, बल्कि प्रतिभागियों को अपने अंदर झाँकने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने का अवसर प्रदान करना है। यह उन्हें भावनात्मक रूप से जुड़ने और प्रशिक्षण में उठाए जाने वाले मुद्दों के प्रति बौद्धिक रूप से तैयार होने का अवसर देता है — जिसे हम "अनफ्रीजिंग" कहते हैं।

फैसिलिटेटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिभागियों की कोई भी भ्रमपूर्ण या गैर-यथार्थ अपेक्षा स्पष्ट रूप से संबोधित की जाए, ताकि वे प्रशिक्षण की प्रकृति और उद्देश्यों को सही ढंग से समझ सकें।

सुविधाकर्ता के लिए नोट - माइक्रो लैब संचालन के लिए

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों के साथ माइक्रो लैब का संचालन करेंगे ताकि वे सत्र की गतिविधियों और मुक्त-प्रवाह वाली बातचीत में सहज रूप से शामिल हो सकें। यह गतिविधि प्रारंभिक झिझक को दूर करने, आपसी संवाद को प्रोत्साहित करने, और एक-दूसरे को बेहतर जानने में मदद करेगी। इससे प्रतिभागी समूह के भीतर एक-दूसरे की ताकतों, चुनौतियों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं और समर्थन की जरूरतों को बेहतर समझ सकेंगे।

सुविधाकर्ता के लिए निर्देश:

- प्रतिभागियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दें कि वे आपके द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें (नीचे दिए गए निर्देश अनुक्रम देखें)।
- माइक्रो लैब के निर्देश अनुक्रम को ध्यानपूर्वक और स्पष्ट रूप से पढ़ें।
- प्रतिभागी यदि स्पष्टीकरण मांगें, तो अतिरिक्त जानकारी न दें—केवल वही निर्देश दोहराएं।
- प्रत्येक निर्देश के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करें। अतिरिक्त समय न दें। समय समाप्त होने पर प्रतिभागियों को अगले निर्देश पर बढ़ना चाहिए।
- प्रतिभागी उत्तर देते समय आपकी स्वीकृति की अपेक्षा कर सकते हैं और आँखों से संपर्क करके प्रतिक्रिया माँग सकते हैं। ऐसे समय में आँखों से संपर्क करने से बचें।
- माइक्रो लैब के समापन पर प्रतिभागियों से उनके अनुभव साझा करने को कहें और चर्चा के माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

गतिविधि संचालन प्रक्रिया:

1. शुरुवात
   - फैसिलिटेटर उपस्थित प्रतिभागियों की पंजी सूची प्रदर्शित करेंगे और सभी को कमरे के केंद्र में इकट्ठा होने के लिए कहेंगे।
   - फिर स्पष्ट आवाज़ में निर्देश देना शुरू करेंगे।

निर्देश अनुक्रम:

फैसलिटेटर द्वारा प्रतिभागियों से यहाँ पूंछा जाये क्या आप कभी मेले में गए हैं ? आमतौर पर लोग मेले में कैसे घूमते हैं ? आप को भी यहाँ इस तरह इधर उधर चलना हैं और दिए गए निर्देशों का पालन करना हैं|

1. कमरे में इधर-उधर घूमें, एक-दूसरे की आँखों में देखकर बिना कुछ कहे अभिवादन करें।
   फिर रुकें, जोड़े बनाएं और एक-दूसरे से **अपना नाम, गाँव और इस प्रशिक्षण में सबसे पसंदीदा बात साझा करें। (2 मिनट)**
2. टेढ़े-मेढ़े तरीके से घूमें। ज़िगज़ैग तरीके से चलें। रुकें, जोड़े बनाएं और **अपने जीवन की सबसे रोचक घटना साझा करें जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। (2 मिनट)**
3. इधर उधर चलें रुकें, तीन छलांग पीछे, दो छलांग आगे और फिर दो छलांग पीछे जाएँ। रुकें, 3 लोगों का समूह बनाएं और **कोई हाल ही में हुए किसी प्रशिक्षण में सीखी गई नई बात को साझा करें। इसे सीखकर आपको कैसा महसूस हुआ? (3 मिनट)**
4. कमरे में इधर-उधर घूमना शुरू करें। रुकें, 4 लोगों का समूह बनाएं और **अपनी दो ताकतें या खूबियाँ साँझा करें (4 मिनट)**
5. आगे बढ़ें और चलते रहें जब तक कमरे के अंत तक न पहुँच जाएं।
   फिर 3 लोगों का समूह बनाएं और साझा करें— **आपने किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया है? (3 मिनट)**
6. ज़िगज़ैग तरीके से चलें, रुकें, 4 लोगों का समूह बनाएं और चर्चा करें —
   GPDP के चलते आपकी पंचायत में पिछले वर्षों में क्या उपलब्धियां हांसिल की या क्या बदलावा आप नया कर पाए (4 मिनट)

7. सीधे आगे बढ़ें, मुड़ें और पीछे की ओर लौटें। रुकें, 5 लोगों का समूह बनाएं और साझा करें —

   आप GPDP में अपनी आने वाले सालों में आप अपनी पंचायत की GPDP बनायेगें तो किस तरह की गतिविधयों को शामिल करना पसंद करेगें

   (विशेषकर: महिलाओं से संबंधित, बुनियादी ढांचे से जुड़ी, कम लागत/बिना लागत की गतिविधियाँ) (5 मिनट)

8. कमरे में इधर-उधर घूमें। अपने दाएँ और बाएँ खड़े लोगों से हाथ मिलाएं।

   फिर रुकें, 3 लोगों का समूह बनाएं **और अपने गाँव के लिए एक सपना साझा करें जिसे आप साकार होते देखना चाहते हैं। (6 मिनट)**

9. किसी को देखें, उनके पास जाएं, हाथ मिलाएं और कहें:

   "हम जन भागीदारी से योजना बनाएंगे और उसे लागू करेंगे।" (2 मिनट)

सुविधकर्ता के लिए नोट:

कम सक्रिय प्रतिभागियों पर नज़र रखें और उन्हें धीरे-धीरे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। लहज़ा हल्का, सुसंगत और सहयोगात्मक रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए समय की निगरानी करें कि गतिविधि निर्धारित समय सीमा से अधिक न हो।

सत्र 3 – 73वां संविधान संशोधन, स्थानीय स्वशासन, और समुदायों के अवसर, हितधारकों का मानचित्रण

60 मिनट

अपेक्षित परिणाम:

- प्रतिभागी ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने वाले संवैधानिक और राज्य के आदेशों को समझेंगे।
- वे पंचायत के कामकाज में शामिल हितधारकों का एक व्यापक मानचित्र बनाएंगे, शासन, सेवा वितरण और सामुदायिक कल्याण में विविध भूमिकाओं को पहचान पाएंगे।
- वे अनुच्छेद 243A (ग्राम सभा) और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम द्वारा अनिवार्य समावेशिता के महत्व को समझेंगे और इनका जीपीडीपी के साथ एकीकरण कर पाएंगे।
- प्रतिभागी ग्रामीण विकास में हितधारकों और उनकी भूमिकाओं पर अपनी समझ विकसित करेंगे।

आवश्यक सामग्री:

फ्लिपचार्ट, मार्कर, प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के साथ हैंडआउट, हितधारक मानचित्रण टेम्पलेट।

सत्र के बारे में:

इस सत्र का उद्देश्य प्रतिभागियों को पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित राज्य के आदेशों के बारे में जानकारी देना है। इसके साथ ही प्रमुख हितधारकों की पहचान करना है। यह सत्र इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि ग्राम पंचायत एक स्वशासी संस्था है और जीपीडीपी से परे योजना बनाने में इसकी जिम्मेदारियों पर जोर दिया जाता है, जैसे कि बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। इस सत्र में प्रतिभागी हितधारक मानचित्रण गतिविधि के माध्यम से यह समझेंगे कि प्रत्येक हितधारक की भूमिका क्या होती है और उन्हें एक-दूसरे के साथ कैसे सहयोग करना चाहिए।

गतिविधि 01: इतिहास की खोज

प्रश्न:

फैसिलिटेटर प्रतिभागियों के साथ माइक्रो लैब का संचालन करेंगे ताकि वे सत्र की गतिविधियों और मुक्त-प्रवाह वाली बातचीत में सहज रूप से शामिल हो सकें। यह गतिविधि प्रारंभिक झिझक को दूर करने, आपसी संवाद को प्रोत्साहित करने, और एक-दूसरे को बेहतर जानने में मदद करेगी। इससे प्रतिभागी समूह के भीतर एक-दूसरे की ताकतों, चुनौतियों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं और समर्थन की जरूरतों को बेहतर समझ सकेंगे।

- हम एक देश के रूप में कब स्वतंत्र हुए?

  उत्तर: 15 अगस्त, 1947। लगभग 100 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली।

- संविधान कब लागू हुआ?

  उत्तर: 26 जनवरी, 1950।

- 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ?

उत्तर: 24 अप्रैल, 1993। 73वें संविधान संशोधन ने नागरिकों को जमीनी स्तर पर शासन में सीधे भाग लेने का अधिकार दिया।

- ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?

  उत्तर: पंचायतें स्थानीय विकास, सामाजिक न्याय और नागरिकों के आर्थिक विकास के लिए ज़िम्मेदार हैं।

गतिविधि 2: भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकार

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से चर्चा के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे।

- आपने चुनाव में किन जनप्रतिनिधियों को वोट दिया?

  उत्तर:

  - कुछ प्रतिभागी कह सकते हैं कि उन्होंने सरपंच और पंचायत के वार्ड सदस्यों को वोट दिया।
  - कुछ प्रतिभागी कह सकते हैं कि उन्होंने विधायक, सरपंच और पंचायत के वार्ड सदस्यों को वोट दिया।
  - कुछ प्रतिभागी कह सकते हैं कि उन्होंने सांसद, विधायक, सरपंच/मुखिया/प्रधान और पंचायत के वार्ड सदस्यों को वोट दिया है।
  - यह भी संभव है कि कुछ प्रतिभागी जिला और यह भी संभव हैं कि कुछ प्रतिभागी जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य चुनावों।

चर्चा का निष्कर्ष

सभी उत्तर प्राप्त करने के बाद, सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को बताएंगे कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, प्रत्येक मतदाता कुल 6 जनप्रतिनिधियों के लिए वोट करता है।

अब, सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से फिर से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे:

- सांसद को वोट देने से कौन सी सरकार बनती है?

  स्पष्टीकरण: केंद्र सरकार (लोकसभा - दिल्ली सरकार) सांसदों द्वारा बनाई जाती है।

- विधायक को वोट देने से कौन सी सरकार बनती है?

  स्पष्टीकरण: राज्य सरकार (विधानसभा - राज्य सरकार) विधायकों द्वारा बनाई जाती है।

- यदि आप पंच, सरपंच/प्रधान/मुखिया प्रधान शब्द हटाये साथ ही जिला और जनपद पंचायत के लिए वोट करते हैं जोड़ें?

  स्पष्टीकरण: स्थानीय सरकार (ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर की सरकार) पंच, सरपंच/प्रधान/मुखिया द्वारा बनाई जाती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि और आम नागरिक मिलकर निर्णय लेते हैं।

गतिविधि 03: सरकार के विभिन्न स्तरों की जिम्मेदारियाँ - सीमाएँ

अब, सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे; उत्तरों को दीवार पर लगे सफ़ेद बोर्ड या चार्ट पेपर पर लिखेंगे।

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि प्रतिभागियों को स्थानीय सरकार की भूमिका और जिम्मेदारियों तथा स्थानीय समुदायों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य विभागों के साथ उनके सहयोग को समझने में

मदद मिल सके।

चर्चा का प्रवाह:

सुविधाकर्ता को प्रतिभागियों से पूछना चाहिए:

- आप जिन समुदायों के साथ काम करते हैं उनकी आकांक्षाएँ/माँगें क्या हैं? कृपया उन्हें सूचीबद्ध करें। (सुविधाकर्ता उन्हें एक बोर्ड पर लिखेगा।)
- उन तीनो के हाथ में चार्ट पर लिख कर उन्हें तीन अलग अलग दिशा में खड़ा कर दे एक में राज्य सरकार, दुसरे में केंद्र सरकार और तीसरे में स्थानीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने का कहें|
- सभी प्रतिभागियों को कहें की आपने जो मांगें बताई हैं उन मांगों को कुंसी सरकार पूरा कर सकती हैं उसके पास जा कर खड़े ही जाये यहाँ अत्यधिक संभवना हैं ......
    - यह अत्यधिक संभावना है कि अधिकांश प्रतिभागी स्थानीय सरकार के बगल में खड़े होंगे।

विषय	केंद्र सरकार	राज्य सरकार	स्थानीय सरकार/ ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा
शिक्षा			
आजीविका, कौशल विकास, रोजगार संबंधी कार्य			

उदाहरण: शिक्षा चर्चा के लिए प्रश्न:

- कौन सी सरकार शिक्षा नीति बनाती है?
- कौन सी सरकार शिक्षकों की नियुक्ति करती है?
- कौन सी सरकार गाँवों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है?
- कौन सी सरकार गाँव के स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करने के लिए पैसा खर्च करती है?
- कौन सी सरकार गाँव के स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है?

उदाहरण: आजीविका, कौशल विकास, रोजगार संबंधी कार्य चर्चा के लिए प्रश्न:

- कौन सी सरकार यह तय करती है कि गांव में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा आदि को पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं?
- कौन सी सरकार लाभार्थियों के खाते में पात्रता हस्तांतरित करती है?
- कौन सी सरकार यह मंजूरी देती है कि गांव में किसे पेंशन मिलनी चाहिए?
- कौन सी सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकती है?
- कौन सी सरकार योजनाबद्ध लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करती है?
- कौन सी सरकार आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय भंडारण सुविधाओं का विकास कर सकती है?

सुविधाकर्ता नोट:

सुविधाकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि संविधान के अनुसार, स्थानीय सरकार/पंचायत इन मांगों को संबोधित करने के

लिए सबसे उपयुक्त संस्थान हैं। जबकि राज्य और केंद्र सरकारें नीतियाँ बनाती हैं, पंचायतें सेवा वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

जब प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाएँ चार्ट पेपर पर अंकित हो जाती हैं, तो सुविधाकर्ता को निम्नलिखित बातें स्पष्ट करनी चाहिए

- जबकि केंद्र और राज्य सरकारें नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करती हैं, पंचायतों के पास उन्हें लागू करने की शक्ति और जिम्मेदारी होती है।
- तीनों सरकारें अलग-अलग भूमिकाएँ निभाती हैं, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि पंचायत क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत, सामुदायक, सार्वजनिक लाभ प्रदान करने के लिए स्थानीय सरकारों की सहमति और सिफ़ारिश की आवश्यकता होती है।

सुविधाकर्ता को प्रतिभागियों को विकास के दो तरीकों के बारे में बताना चाहिए, और कैसे हमने विकेंद्रीकृत निर्णय लेने और समुदायों के साथ विकास नियोजन के लिए शक्तियाँ निहित करने के लिए **ऊपर से नीचे** के दृष्टिकोण के बदले **नीचे से ऊपर** के दृष्टिकोण की ओर रुख किया।

- भारतीय संविधान के अनुसार, लोगों के कल्याण के लिए नियम हैं।
- यह ज़रूरी है कि विकास में लोगों की भागीदारी हो और लोग अपने हितों से जुड़े फ़ैसले ले सकें, लेकिन समय के साथ यह समझ में आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर फ़ैसले लेती हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का हिस्सा होती हैं, क्योंकि चुने हुए लोग मतदाताओं के साथ मिलकर फ़ैसले नहीं लेते।
- गाँव की ज़रूरतों और राज्य और केंद्र की प्राथमिकताओं में फ़र्क है, क्योंकि हर गाँव की अपनी स्थानीय समस्याएँ और ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें स्थानीय नागरिकों की सामूहिक भागीदारी के साथ निर्णय लेने और निगरानी प्रक्रियाओं से ही दूर किया जा सकता है।

अब सुविधाकर्ता विभिन्न सरकारों की भूमिकाओं को दर्शाने वाले अभ्यास के उदाहरणों का हवाला देते हुए सरकार के लिए **नीचे से ऊपर** के दृष्टिकोण की व्याख्या करेंगे। वर्ष 1992 में किए गए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण स्वशासन और स्थानीय स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वास्तव में एक मील का पत्थर है, जिसके द्वारा आम लोगों को सुशासन में भागीदारी करने का सुनहरा अवसर मिला है। अब सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से पूछेंगे कि क्या वे पंचायतों के महत्व को समझते हैं और उनके अनुसार पंचायतें क्या भूमिका निभा सकती हैं।

गतिविधि 04 : स्टेकहोल्डर मैपिंग

अब सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से पूछेंगे कि इस संरचना में कौन-कौन हितधारक हैं। यह अभ्यास पंचायतों को पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास में भूमिका निभाने वाले प्रत्येक हितधारक की पहचान करने में मदद करेगा। हितधारक वे सभी लोग हैं जो विकास प्रक्रिया में भागीदार हैं, उदाहरण के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधि, एफएलडब्ल्यू, एसएचजी, गाँव के बुजुर्ग, हाशिए पर पड़े समुदाय आदि। सुविधाकर्ता व्हाइट बोर्ड या चार्ट पेपर पर उत्तर लिख सकते हैं।

- सुविधाकर्ता चार्ट/व्हाइटबोर्ड के बीच में "ग्राम पंचायत" लेबल वाला एक बड़ा वृत्त खीचेंगे और उसमें नाम/भूमिकाएँ लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे।

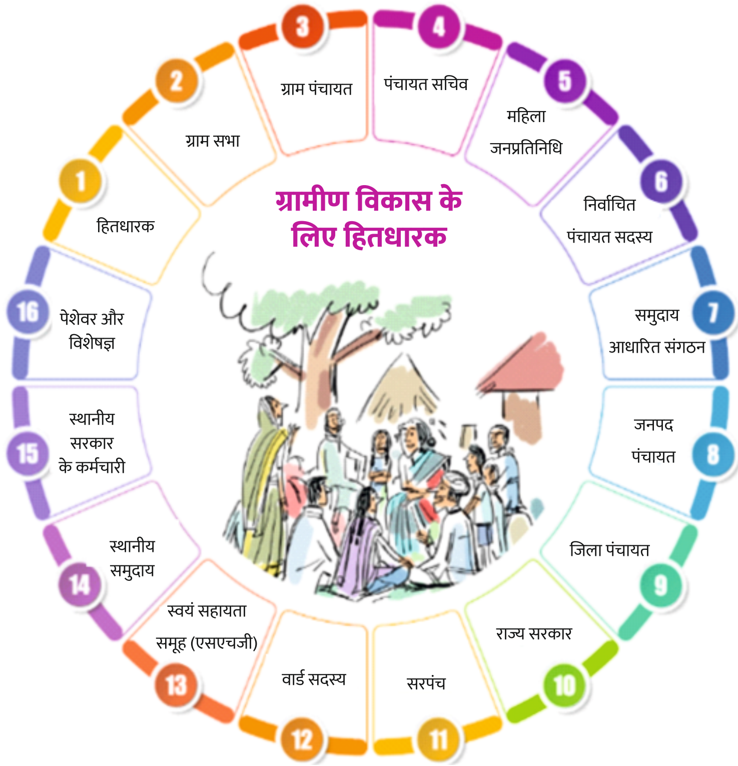

- प्रतिभागियों से उन सभी हितधारकों का नाम बताने के लिए कहें, जिनके बारे में वे सोच सकते हैं, जो ग्राम पंचायत के कामकाज में मदद करते हैं।
- ग्राम पंचायत के घेरे के चारों ओर हितधारकों का नाम लिखें और दिखाएँ कि वे पंचायत से कैसे जुड़े हुए हैं, उदाहरण: एसएचजी महिलाएँ महिलाओं की ज़रूरतों को सामने लाती हैं, सरपंच के स्थान पर ग्राम सभा लिखे। मैप करें कि कौन सेवा प्रदान करता है, कौन निर्णय लेता है, और यह सोचें कि कौन छूट गया है। सुविधाकर्ता को उनसे प्रमुख हितधारकों और उनकी भूमिकाओं के बारे में बताने के लिए कहना चाहिए।
- सुविधाकर्ता छूटे हुए हितधारकों को जोड़ेंगे, यदि कोई हो, तथा प्रतिभागियों से पूछेंगे - कौन से हितधारक छूट गए हैं, और उन्हें शामिल करने में आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उदाहरण के लिए, युवा, एससी/एसटी समुदाय, महिलाएँ आदि।
- प्रशिक्षण हॉल की दीवारों पर हितधारक मानचित्र प्रदर्शित करें।

हितधारक	योगदान मूल्य में योगदान	योगदान मूल्य
ग्राम सभा	ग्राम पंचायत	विकास योजनाओं पर इनपुट और फीडबैक प्रदान करता है।
ग्राम पंचायत	ग्राम सभा, निर्वाचित सदस्य, स्थानीय समुदाय	विकास परियोजनाओं को लागू करता है, शासन को सुगम बनाता है।
पंचायत सचिव	ग्राम पंचायत, निर्वाचित सदस्य	प्रशासनिक सहायता, परियोजना प्रबंधन, रिकॉर्ड रखना।
महिला जनप्रतिनिधि	ग्राम पंचायत, स्थानीय समुदाय	महिलाओं के मुद्दों को बढ़ावा देती हैं, शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं।
निर्वाचित पंचायत सदस्य	ग्राम पंचायत, स्थानीय समुदाय	घटकों की जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है, निर्णय लेने में भाग लेता है।

समुदाय आधारित संगठन	ग्राम पंचायत, स्थानीय समुदाय	समुदायों को जोड़ता है, स्थानीय मुद्दों और संसाधनों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत, जिला पंचायत	ग्राम शासन की देखरेख और समर्थन करता है, विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है।
जिला पंचायत	ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत	नीति निर्देश, वित्त पोषण और निरीक्षण प्रदान करता है।
राज्य सरकार	जिला पंचायत, ग्राम पंचायत	नीतियां, वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण जारी करती है।
सरपंच	ग्राम पंचायत, स्थानीय समुदाय	पंचायत बैठकों का नेतृत्व करता है, उच्च स्तर पर गांवों का प्रतिनिधित्व करता है।
वार्ड सदस्य	ग्राम पंचायत, स्थानीय समुदाय	वार्ड-विशिष्ट मुद्दों और जरूरतों का प्रतिनिधित्व करता है, स्थानीय चिंताओं को व्यक्त करता है।
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)	ग्राम पंचायत, स्थानीय समुदाय	महिलाओं को सशक्त बनाता है, वित्तीय साक्षरता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
स्थानीय समुदाय	ग्राम पंचायत, समुदाय-आधारित संगठन	शासन में सक्रिय भागीदारी, सेवाओं और परियोजनाओं पर फीडबैक।
स्थानीय सरकार के कर्मचारी	ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत	नीतियों के कार्यान्वयन का समर्थन करता है, स्थानीय प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।
पेशेवर और विशेषज्ञ	ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत	विकास पहलों पर विशेष ज्ञान और सलाह प्रदान करता है।

सुविधाकर्ता इन बिंदुओं का सारांश इस प्रकार देगा:

"भारतीय संविधान के 73वें संशोधन (1992) के अनुच्छेद 243जी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को नागरिकों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएँ तैयार करने का निर्देश देता है, ताकि गाँव अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं तय कर सकें।

साथ ही, मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993, राज्य की विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। विशेष रूप से, इस अधिनियम की धारा 54 ग्राम पंचायतों को स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास योजनाएँ तैयार करने और उन्हें राज्य तथा केंद्र सरकार की योजनाओं से संरेखित करने के लिए 'सहभागितापूर्ण लोकतंत्र' को प्रोत्साहित करने पर बल देती है।

हालाँकि पंचायतों को 29 विषयों का दायित्व सौंपा गया है, वे अभी भी वित्तीय संसाधनों और मानव संसाधनों की सीमाओं का सामना करती हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि पंचायतें स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। सूचीबद्ध प्रत्येक हितधारक पंचायत के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी हितधारक विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों।"

उद्देश्य:

- यह समझ पाएँगे कि किसी भी सरकार के लिए योजना बनाना और बजट तैयार करना क्यों आवश्यक कार्य हैं।
- इस अनिवार्य भूमिका का समर्थन करने वाले संवैधानिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बता सकेंगे।

गतिविधि 01: संदर्भ निर्धारण

- प्रतिभागियों से पूछें: "आपके अनुसार, किसी भी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है?"
- प्रतिभागी उत्तर देंगे जैसे: विकास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।
- उत्तरों के आधार पर सुविधाकर्ता कह सकते हैं:

"हाँ! सही कहा आपने – विकास, सामाजिक और आर्थिक प्रगति, नीति निर्माण आदि सरकार की प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार इन लक्ष्यों को कैसे हासिल करती है?"

- फिर जोड़ें:

"सरकार का प्रमुख कार्य **योजना बनाना** और **बजट तैयार करना** है। योजनाओं के माध्यम से सरकार अपने बजट और अन्य संसाधनों (जैसे मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन आदि) का समुचित और समान वितरण करती है ताकि विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

स्थानीय सरकार होने के नाते पंचायतों को भी अपने गाँव के लिए इसी प्रकार की योजना और बजट प्रक्रिया अपनानी चाहिए।"

गतिविधि 02: योजना और बजट क्यूँ महत्वपूर्ण हैं?

विधि: कहानी सुनाना + चार्ट पेपर चित्रण

- **कहानी प्रस्तुति:**

दो गाँवों की संक्षिप्त कहानियाँ साझा करें:

- **चार्ट पेपर पर चित्रण:**

इन दोनों कहानियों के मुख्य बिंदुओं को दो कॉलम में चित्र/शब्दों द्वारा दर्शाएँ – एक 'योजना वाला गाँव' और दूसरा 'बिना योजना वाला गाँव'। यह तुलना प्रतिभागियों को यह समझने में मदद करेगी कि सुव्यवस्थित योजना और बजट प्रक्रिया गाँव की खुशहाली में किस तरह योगदान करती है।

निपानीय पंचायत (योजना वाला गाँव)	लखीमपुर पंचायत (बिना योजना वाली पंचायत)
निपानिया पंचायत में, जहाँ किसान बड़ी मात्रा में ताज़ी सब्ज़ियाँ उगाते थे, अचानक बारिश के कारण उनकी फसलें बार-बार बर्बाद हो जाती थीं। सब्ज़ियां मंडी तक पहुँचने से पहले ही सड़ जाती थीं, जिससे किसान खाली हाथ रह जाते थे।	लखीमपुर पंचायत ब्लॉक मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित है और अक्सर पानी की कमी से जूझती रहती है। यह पंचायत कई गाँवों और बिखरी हुई बस्तियों को शामिल करती है। पंचायत को एक अनूठी चुनौती का सामना करना पड़ता है – पंचायत केंद्र से दूर स्थित गाँव अक्सर उपेक्षित रह जाते हैं।

एक ग्राम सभा के दौरान, सभी ने इस समस्या पर चर्चा की और यह निर्णय लिया गया कि यदि कोल्ड स्टोरेज बन जाए, तो फसलें ताज़ा रह सकेंगी और किसानों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। सरपंच ने इस विचार से सहमति जताई, लेकिन बताया कि कोल्ड स्टोरेज बनाने में काफी खर्च आएगा, जिससे सड़क या स्कूल की मरम्मत जैसे अन्य कार्यों के लिए कम बजट बचेगा। आसपास के गाँवों के किसान भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। सरपंचों की एक अनौपचारिक बैठक में यह तय हुआ कि वे अपने क्षेत्र के विधायक से सहायता माँगेंगे। विधायक ने उनकी बात ध्यान से सुनी और इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (MLA-LAD) निधि से बजट आवंटित करने का वादा किया। इस प्रस्ताव को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल किया गया। बजट मिलने के बाद गाँव में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ। गाँव के लोगों ने स्वेच्छा से कहा कि पंचायत को इसके निर्माण के लिए 1000 रुपये का सहयोग देना चाहिए।	बार-बार सूखे की स्थिति के बावजूद पंचायत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पंचायत ने न तो उचित ग्राम सभाओं का आयोजन किया और न ही सभी गाँवों को शामिल किया। बैठकों का आयोजन अक्सर पंचायत केंद्र के पास के गाँवों तक ही सीमित रहता। दूरस्थ गाँवों में हैंडपंप और पाइपलाइनों की मरम्मत की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ किया गया। पंचायत समय पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग के साथ समन्वय नहीं कर सकी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मोटर पंप और हैंडपंप काम नहीं कर रहे थे। समन्वय की कमी के कारण जल जीवन मिशन (JJM) की निधि समाप्त हो गई और उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाया। गर्मियों के दौरान जब पानी की आवश्यकता सबसे अधिक थी, तब छोटे और सीमांत किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि वे अपनी छोटी जोत की खेती और उस पर आधारित आय पर निर्भर थे। पंचायत की निष्क्रियता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत वृक्षारोपण, चेक डैम, और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (NRM) कार्यों की योजना तक प्रभावित हुई। लखीमपुर के लिए जो धनराशि आसानी से उपलब्ध थी, उसका उपयोग नहीं हो सका, और अंततः ग्रामीणों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े।

सुविधाकर्ता दो स्वयंसेवकों से कहेंगे कि वे दोनों कहानियाँ पढ़ें और उसके बाद एक खुली चर्चा की शुरुआत करेंगे:

- प्रश्न: "जब दोनों पंचायतों के पास समान संसाधन और संस्थाएँ थीं, तब भी उनके परिणाम इतने भिन्न क्यों थे?"

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा और अनुच्छेद 243जी — "पंचायतें आर्थिक विकास" और "सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करेंगी" — तथा मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 7(छ)(क) — "ग्राम सभा की दीर्घकालिक विकास योजना" — पर प्रकाश डालेगा।

इस बात पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा कि **समय पर योजना बनाना कोई विकल्प नहीं, बल्कि पंचायत की जिम्मेदारी और संवैधानिक अधिकार है।**

इसके साथ ही, **सुविधाकर्ता GPDP-VPRP (ग्राम पंचायत विकास योजना – ग्राम संसाधन योजना) निर्माण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे**, जैसे कि:

✓ समर्पित पोर्टल

✓ राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान

- ✓ वित्त आयोग (FC) निधियों की उपलब्धता और सभी प्रमुख कार्यक्रमों के लिए वार्षिक योजना की आवश्यकता
- ✓ नोडल अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति
- ✓ महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से VPRP तैयार करने की प्रक्रिया

मुख्य संदेश:

- **"कोई योजना नहीं = कोई विकास नहीं"**
- **"योजना + बजट = वास्तविक परिवर्तन"**
- **"आप केवल सदस्य नहीं हैं — आप योजनाकार और बजट धारक हैं।"**
- **प्रोत्साहन दें:** "सरल योजना के माध्यम से, हम अपने गाँवों में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।"
- सत्र का समापन सामूहिक प्रतिज्ञान से करें:

  "हमारी योजना, हमारा बजट, हमारा विकास!"

  "अब जब हम जानते हैं कि हम कहाँ हैं, तो आइए देखें कि हम मिलकर योजना प्रक्रिया को कैसे मजबूत बना सकते हैं।"

सत्र 5 – जीपीडीपी तैयारी की प्रक्रिया और हितधारकों की भूमिका

90 मिनट

अपेक्षित परिणाम:

- प्रतिभागी GPDP की प्रक्रिया के मुख्य चरणों को सीखेंगे ताकि वे पंचायतों में इन प्रक्रियाओं को सहज रूप से लागू कर सकें।
- प्रतिभागी LSDG (स्थायी विकास लक्ष्य) विषयों और साक्ष्य-आधारित GPDP तैयार करने के तरीकों को समझना शुरू करेंगे।

आवश्यकताएँ:

ऑडियो-विज़ुअल प्रस्तुति उपकरण (जैसे टीवी/प्रोजेक्टर, स्पीकर), एक लैपटॉप, और GPDP के चरणों को दर्शाने वाला एक फ्लेक्स या पोस्टर।

गतिविधि 01: जीपीडीपी प्रक्रिया पर फिल्म प्रदर्शन (समय: 19 मिनट)

परिचय:

"आइए, इस फिल्म के माध्यम से GPDP की तैयारी में शामिल विभिन्न चरणों को समझते हैं।"

फैसिलिटेटर इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित वीडियो का उपयोग करेंगे:

https://www.youtube.com/watch?v=4QrScHQXx_M

फैसिलिटेटर नोट:

वीडियो दिखाने के बाद, फैसिलिटेटर GPDP प्रक्रिया का सारांश प्रस्तुत करेंगे।

(प्रासंगिक चित्र या पोस्टर का उपयोग करें: "विषयगत GPDP की तैयारी")

इसके बाद प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएँगे:

1. क्या आप अपनी पंचायतों में GPDP की तैयारी में इन सभी चरणों का पालन करते हैं?
2. यदि नहीं, तो आपने कौन से चरण अपनाए हैं?
3. क्या आपने इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल किया है? यदि नहीं, तो किन-किन को शामिल किया?
4. सभी चरणों का पालन करने और सभी हितधारकों को शामिल करने में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?

निष्कर्ष:

"अब आइए समझते हैं कि आप ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ कैसे तैयार करते हैं।"

GPDP एक समग्र और बहुआयामी योजना होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, आजीविका आदि) से संबंधित स्थानीय माँगों और प्राथमिकताओं को सम्मिलित करती है।

विषयगत जीपीडीपी की तैयारी

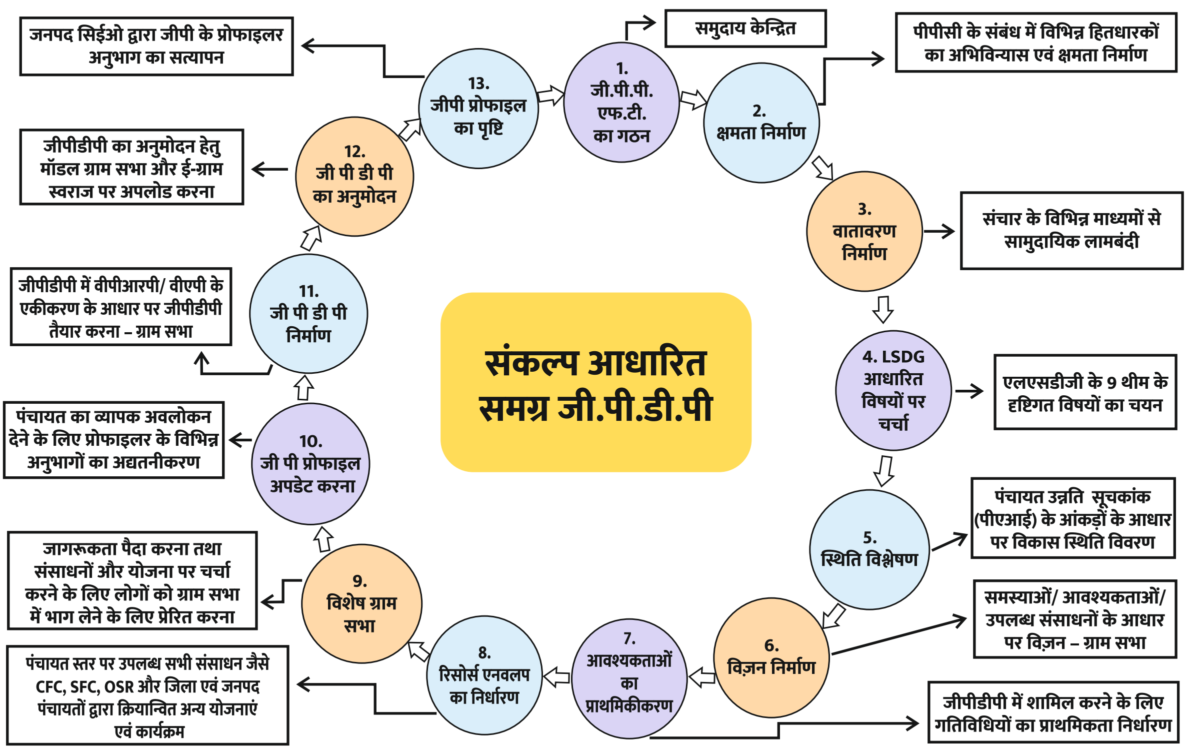

सुविधाकर्ता केलिए नोट: सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को बताएँगे कि पेसा ग्राम पंचायतें ग्राम स्तर पर विकास योजनाएं तैयार करेंगी। एलएसडीजी के 9 विषयों के साथ साथ पेसा के 7 अतिरिक्त विषय को भी शामिल करते हुए विकास योजना बनाना है| सात पेसा विषय निम्नानुसार है|

- पेसा ग्राम सभा को मज़बूत बनाना|
- लघु वनोपज
- लघु खनिज
- भूमि के हस्तांतरण की रोकधाम
- मादक पदार्थों की बिक्री और उपभोग पर प्रतिबन्ध का प्रवर्तन
- विवाद समाधान का प्रथागत तरीका
- साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण

गतिविधि 02: हितधारकों की भूमिका पर चर्चा

आवश्यक सामग्री:

हितधारकों को दर्शाने वाले फ़्लैश कार्ड और मार्कर।

सुविधकर्ता के लिए नोट

सुविधाकर्ता विभिन्न हितधारकों का नाम वाइट बोर्ड पर लिखेंगे|

वे प्रतिभागियों से अनुरोध करेंगे कि वे बताएँ कि GPDP की तैयारी में उस हितधारक की क्या भूमिका होती है।

सुविधकर्ता प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को बोर्ड/चार्ट पर संक्षेप में लिखेंगे, और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बिंदु जोड़ेंगे।

सुविधाकर्ता का संवाद व मार्गदर्शन (संशोधित रूप):

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को समझाएँगे कि गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी (GPDP) की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी हितधारक मिलकर समन्वित रूप से कार्य करें। यदि हितधारकों की भूमिकाओं की परस्पर पूरकता को नहीं पहचाना गया या वे मिलकर कार्य नहीं करते हैं, तो यह प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएगी।

हितधारक	भूमिका
ग्राम सभा	1. पंचायत के लिए प्रस्तावों पर निर्णय लेना 2. जीपीडीपी को अनुमोदित करना 3. जीपीडीपी में वीपीआरपी का एकीकरण सुनिश्चित करना 4. जीपीडीपी के कार्यान्वयन की निगरानी करना
ग्राम पंचायत	1. जीपीपीएफटी (GPDP Facilitation Team) का गठन करना 2. ग्राम सभा के लिए एजेंडा तैयार करना और प्रकाशित करना 3. महिला सभा और बाल सभा का आयोजन करना 4. संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना
सरपंच	1. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना 2. यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक हितधारक को अपनी राय और मांगें प्रस्तुत करने का अवसर मिले 3. पीपीसी कैलेंडर का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना 4. विषयगत समाधान के लिए पीएआई (Panchayat Performance Index) डेटा का प्रस्तुतीकरण
वार्ड सदस्य / निर्वाचित सदस्य	1. वार्ड सभाओं का आयोजन करना और स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करना 2. ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी करना
महिला प्रतिनिधि	1. महिला सभा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संगठित करना 2. महिलाओं से संबंधित मुद्दों को जीपीडीपी में सम्मिलित करना
पंचायत सचिव	1. पीपीसी कैलेंडर पोर्टल पर अपलोड करना 2. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर जीपी प्रोफ़ाइल अपडेट करना 3. ग्राम सभा में बजट प्रस्तुत करना4. स्वीकृत योजना का संकलन एवं पोर्टल पर अपलोड करना
सीबीओ / एसएचजी (सामुदायिक संगठन)	1. ग्राम सभा में वीपीआरपी का प्रस्तुतीकरण एवं एकीकरण 2. महिला सभा में सक्रिय भागीदारी 3. महिलाओं को ग्राम सभा में भाग लेने हेतु संगठित करना 4. वीपीआरपी के कार्यान्वयन पर चर्चा एवं निगरानी करना

फील्ड लेवल वर्कर (FLW)- AWW, ANM, GRS, शिक्षक आदि	1. अपने विभाग से संबंधित द्वितीयक डेटा उपलब्ध कराना 2. पिछले और आगामी वर्ष की प्रगति रिपोर्ट साझा करना
सुविधाकर्ता (Facilitator)	1. पंचायत स्तर पर जागरूकता सृजन करना 2. पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना 3. gpdp.nic.in पोर्टल पर फसिलिटेटर रिपोर्ट अपलोड करना
जीपीडीपी नोडल अधिकारी	1. जीपीपीएफटी का प्रशिक्षण देना 2. पीपीसी प्रक्रिया की निगरानी करना
जनपद पंचायत (ब्लॉक स्तर)	1. ब्लॉक स्तर पर हितधारकों का प्रशिक्षण आयोजित करना 2. बीएलसीसी का गठन करना और जीपीडीपी के कार्यान्वयन की निगरानी करना 3. विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना
जिला पंचायत	1. जिला स्तर पर हितधारकों का प्रशिक्षण आयोजित करना 2. डीएलसीसी का गठन करना और अभिसरण योजनाओं की निगरानी करना
राज्य सरकार	1. एसएफसी/सीएफसी निधियों का वितरण करना 2. ईजीएस पोर्टल में योजनाओं का मैपिंग करना
नागरिक समाज संगठन (CSO)	समुदाय में जागरूकता सृजन करना
स्थानीय सरकारी अधिकारी	विभागीय अभिसरण के माध्यम से जीपीडीपी के तहत गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
पेशेवर और विशेषज्ञ	तकनीकी परियोजनाओं की योजना एवं तैयारी में सहायता प्रदान करना

प्रश्न-विचार गतिविधि: जीपी साक्ष्य-आधारित योजना कैसे बनाएं?

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे:

- आपने पिछले वर्ष कौन-सा संकल्प लिया था?
- वह संकल्प आपने किस आधार पर चुना था?

प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं को सुनने के बाद, यदि वे **पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI)** का उल्लेख नहीं करते हैं, तो सुविधाकर्ता इस सूचकांक की अवधारणा का परिचय देंगे। यदि प्रतिभागियों को PAI के बारे में जानकारी है, तो सुविधाकर्ता उनके ज्ञान को आगे विस्तार से स्पष्ट करेंगे।

PAI स्कोर का महत्व:

पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) पंचायत की सभी 9 एलएसडीजी (LSDG - Localisation of Sustainable Development Goals) विषयों में वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। सरपंच ग्राम सभा में यह स्कोर प्रस्तुत करेंगे और समुदाय इसके आधार पर पहचाने गए अंतरालों (gaps) पर चर्चा करेगा। ग्राम सभा, पीएआई स्कोर के अनुसार सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए संकल्प लेगी।

महत्वपूर्ण सूचना:

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को यह भी सूचित करेंगे कि कुल अनटाइड फंड का **कम-से-कम 25%** राशि इन संकल्प आधारित गतिविधियों पर खर्च किया जाना चाहिए।

प्रयोगात्मक भाग:

- सुविधाकर्ता https://pai.gov.in पोर्टल पर जाकर कुछ भाग लेने वाली पंचायतों के PAI स्कोर दिखाएँगे।
- प्रतिभागियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने मोबाइल/लैपटॉप पर पोर्टल खोलें और अपनी ग्राम पंचायत का स्कोर देखें।
- वे अपने स्कोर की तुलना ब्लॉक और ज़िले के स्कोर से करें।
- प्रतिभागियों से कहा जाएगा कि वे स्कोर को अपनी नोटबुक में लिखें और चर्चा करें:
    - वे स्कोर में सुधार के लिए क्या प्रयास करेंगे?

(2–3 प्रतिभागियों को अपने विचार संक्षेप में साझा करने के लिए आमंत्रित करें)

अगले चरण की तैयारी:

फैसिलिटेटर विभिन्न हितधारकों को दर्शाने वाले फ़्लैश कार्ड का उपयोग करेंगे।

समय: 75 मिनट

सामग्री की आवश्यकता: सचित्र वर्णन, चार्ट पेपर और मार्कर

अपेक्षित परिणाम:

- प्रतिभागी क्षेत्रीय चुनौतियों की पहचान करना सीखेंगे।
- वे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के आधार पर क्षेत्रीय योजनाएँ तैयार करने की क्षमता विकसित करेंगे।
- वे बजटीय, गैर-बजटीय और कम बजटीय गतिविधियों को पहचानना और वर्गीकृत करना सीखेंगे।

गतिविधि 01: पारिस्थितिकी विश्लेषण और गतिविधियों की पहचान

प्रत्येक समूह को 4–5 क्षेत्रों (जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, आजीविका, बुनियादी ढांचा आदि) से संबंधित एक परिदृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिभागियों को 8-8 के समूहों में बाँटा जाएगा। प्रत्येक समूह को दिए गए परिदृश्य के आधार पर समस्याओं का विश्लेषण करना होगा और पंचायत स्तर पर किए जा सकने वाले संभावित हस्तक्षेपों (interventions) पर चर्चा करनी होगी।

- प्रत्येक चित्र/छवि एक समस्या या मुद्दे को दर्शाएगी।
- सुविधाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि हर समूह को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं वाले कार्ड मिलें।
    - **उदाहरण:** पहले समूह को शिक्षा से दो कार्ड, स्वास्थ्य से तीन कार्ड, आजीविका से एक कार्ड और बुनियादी ढांचे से दो कार्ड दिए जा सकते हैं।
    - इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर समूह को एक व्यापक और विविध परिप्रेक्ष्य मिले जिससे वे बहुआयामी योजना बनाने की प्रक्रिया में सहभागी बन सकें।

नोट :- नीचे दिए गए क्षेत्रों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा:

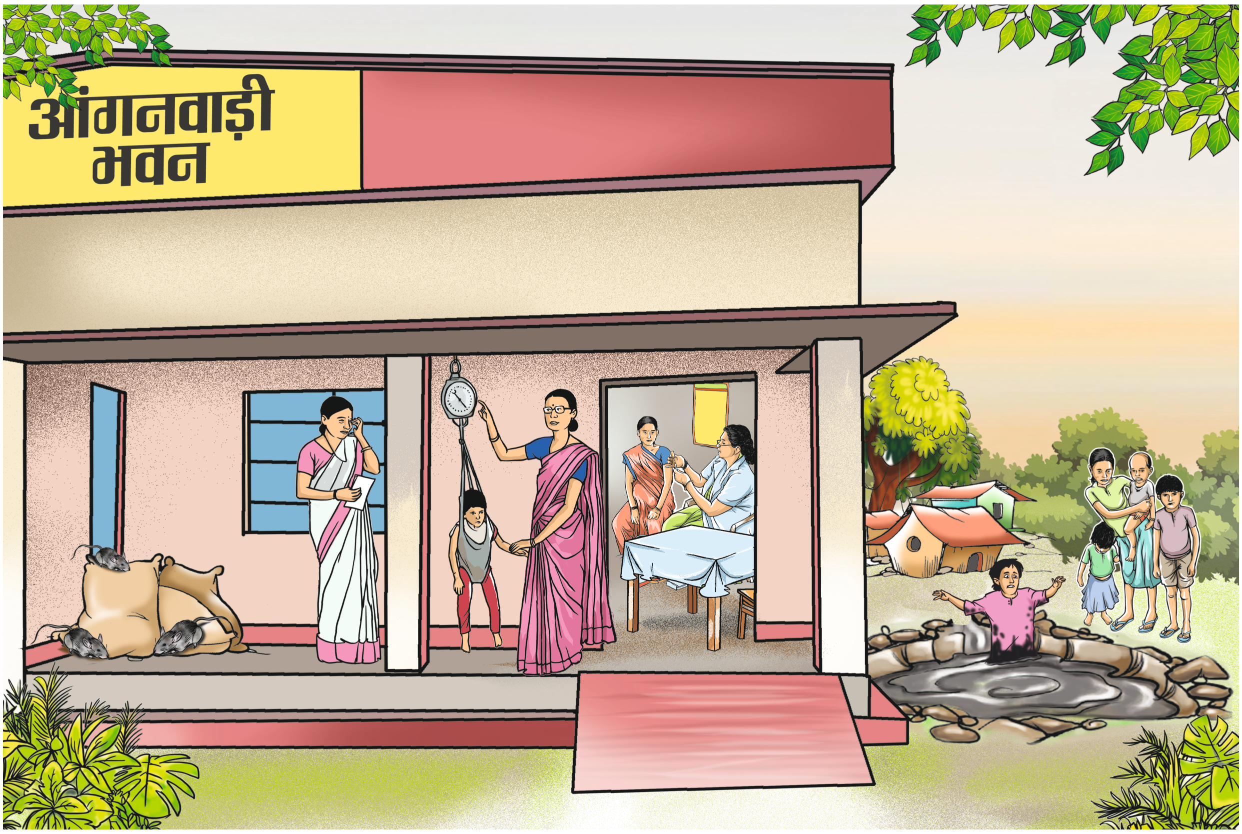

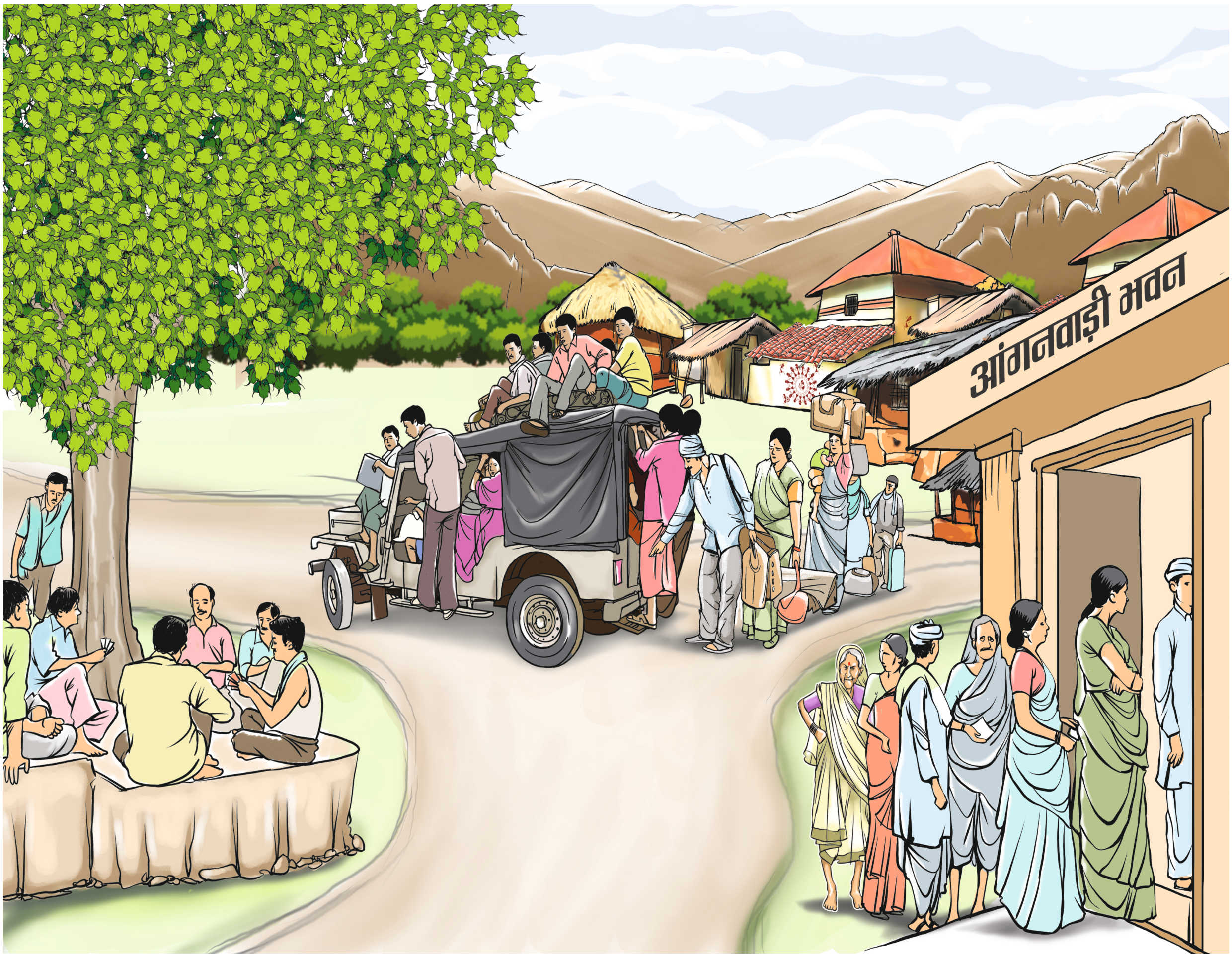
आंगनवाड़ी भवन

बालक-बालिका
शौचालय

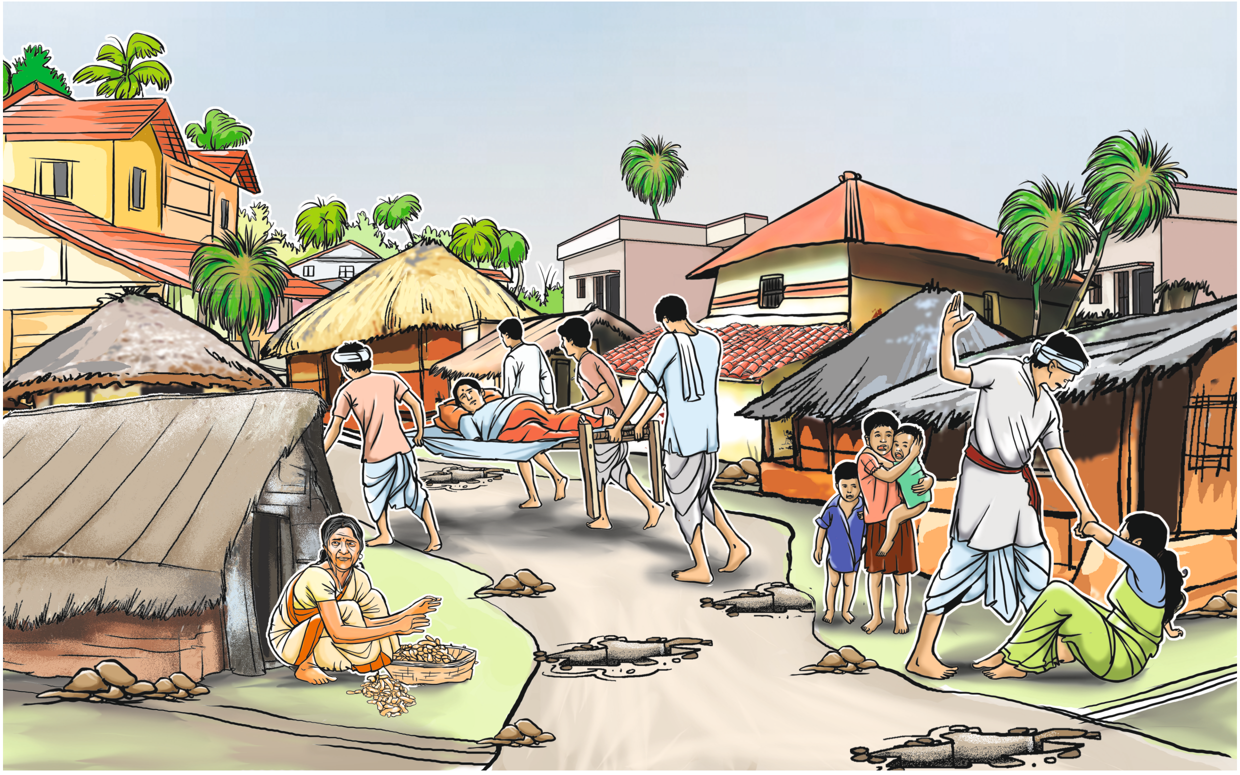

सुविधाकर्ता प्रत्येक समूह से दिए गए परिदृश्य के अतिरिक्त पंचायत द्वारा सामना की जाने वाली किसी आपदा या खतरे के बारे में भी विचार करने को कहेंगे। यह आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है, जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, कोविड-19 जैसी महामारी, सड़क दुर्घटना, आग, बिजली का झटका, सांप का काटना, या नदी में डूबना। प्रतिभागियों से इन घटनाओं के संभावित प्रभावों पर विचार करने और इन समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत द्वारा किए जा सकने वाले हस्तक्षेपों के बारे में सोचने के लिए कहा जाएगा। प्रतिभागियों को अपनी प्रस्तुति में इन गतिविधियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया जाएगा।

प्रतिभागी 20 मिनट तक चर्चा करेंगे। प्रत्येक समूह को परिदृश्य के आधार पर एक कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा जाएगा। वे कार्य योजना को बजटीय, कम बजटीय और गैर-बजटीय गतिविधियों में वर्गीकृत करेंगे।

बजटीय गतिविधियाँ कम बजटीय गतिविधियाँ, गैर-बजटीय गतिविधियाँ

प्रत्येक समूह अपनी प्रस्तुति देगा और यदि कोई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ छूट गई हों तो सुविधाकर्ता उन्हें जोड़ देंगे।

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों से सत्र को **स्थानीय प्रेरक गीत** के साथ समाप्त करने के लिए स्वेच्छा से अनुरोध कर सकते हैं।

पुनरावलोकन

आइए हम **PPC** के बारे में अपनी समझ को एक **प्रश्नोत्तरी** के रूप में जांचें। (सुविधाकर्ता निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे और प्रतिभागियों से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हाथ उठाने को कहेंगे):

1. **PPC** के तहत पहली ग्राम सभा कब आयोजित की जाती है?
2. **जीपीपीएफटी** का हिस्सा कौन होते हैं?
3. हम **महिला सभा, वार्ड सभा** और **बाल सभा** कब आयोजित करते हैं?
4. क्या आप पूरक योजनाएँ तैयार करते हैं? यदि हाँ, तो कितने महीनों के बाद आप एक पूरक योजना तैयार कर सकते हैं?
5. **जीपीडीपी** के विकास में इन हितधारकों की क्या भूमिका है? (कोई 2-3 हितधारक, जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, वार्ड पंच, और शिक्षक)

दूसरा दिन

सत्र 1 - पुनर्कथन

30 मिनट

समय: 30 मिनट

आवश्यक सामग्री: सॉफ्ट बॉल या कुशन

अपेक्षित परिणाम:

- दिन 1 से सीखी गई मुख्य बातें रोचक तरीके से ताज़ा करना
- प्रतिभागियों को दूसरे दिन के लिए सक्रिय बनाना

गतिविधि - बॉल पास करें

1. प्रतिभागियों से एक बड़ा घेरा बनाने के लिए कहें (या यदि ज़रूरत हो तो वे अपनी सीट पर बैठे रह सकते हैं)।
2. खेल: किसी वस्तु को पास करें (बॉल, कुशन या कोई भी सहारा)। जो भी उसे प्राप्त करेगा, वह एक वाक्य में दिन 1 से सीखी गई एक मुख्य बात/क्या पसंद आया, यह बताएगा।

   (त्वरित प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करें; यदि किसी को परेशानी होती है, तो वे मदद के लिए "किसी मित्र को फ़ोन कर सकते हैं")
3. सुविधाकर्ता प्रतिभागी को एक घेरे में खड़े होने और फिर बॉल को किसी एक व्यक्ति को देने के लिए कहेंगे। बॉल को पकड़ने वाला व्यक्ति एक अनुभव साझा करेगा और फिर उसे घेरे में मौजूद किसी अन्य व्यक्ति को दे देगा। (यह प्रक्रिया 4-5 लोगों द्वारा दोहराई जाएगी)।

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को **शिक्षण प्रबंधन प्रणाली** से परिचित कराएंगे, जहां वे **एलएसडीजी** से जुड़ी **जीपीडीपी प्रक्रिया** के बारे में और अधिक जान सकते हैं:

\https://panchayatlms.trif.in/login/index.php

सत्र 2 – ग्राम पंचायत रिसोर्स एन्वेलप

60 मिनट

अपेक्षित परिणाम

- प्रतिभागियों को पंचायत के लिए उपलब्ध संसाधन एन्वेलप पर समझ विकसित होगी।
- सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को पंचायतों के लिए योजनाएँ तैयार करने के लिए उपलब्ध संसाधन एन्वेलप से अवगत कराने के लिए एक गतिविधि आयोजित करेंगे।

गतिविधि 01 – बिंदी वाला खेल

आवश्यक सामग्री: बड़ा फ्लेक्स, मार्कर

गतिविधि का तरीका:

1. प्रतिभागियों को विभाजित करना

- काउंट-ऑफ विधि (1-4) का उपयोग करके 4 उप-समूह बनाए जाएँ।

2. सामग्री प्रदान करना

- प्रत्येक उप-समूह को विभिन्न उपलब्ध संसाधनों (निधि, योजनाएँ और विभाग) के लिए 10 तस्वीरों के साथ एक बड़ा फ्लेक्स मिलेगा।
- प्रतिभागी, सुविधाकर्ता द्वारा गतिविधि शुरू करने से पहले, चित्रों का अवलोकन और व्याख्या करेंगे।
- वे कल्पना करेंगे कि प्रत्येक तस्वीर में क्या हो रहा है और इसका क्या मतलब है। उनके पास प्रत्येक तस्वीर के लिए कुछ कल्पनाएँ और समझ होगी। कुछ मिनटों का यह दृश्य, सुविधाकर्ता के लिए गतिविधि को शुरू करने और पूरा करने में सहायक होगा।

3. फ्लैशकार्ड का उपयोग:

- सुविधाकर्ता 10 तस्वीर (फ्लेक्स पर दिए गए समान) का उपयोग करेंगे। सुविधाकर्ता एक-एक करके प्रत्येक कार्ड का वर्णन करेंगे, बिना इसके उद्देश्य या पहुँच विवरण बताए - केवल विवरण पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- प्रत्येक तस्वीर को दिखाया जाएगा, और प्रतिभागी जो देखते हैं उसका वर्णन करेंगे।
- सुविधाकर्ता प्रत्येक तस्वीर के लिए एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करेंगे।
- प्रतिभागियों को नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर प्रत्येक संसाधन के नीचे एक बिंदी लगाने के लिए कहा जाएगा:
    1. यदि आपके पास जानकारी है, तो नारंगी बॉक्स में एक बिंदी डालें।
    2. यदि आपके पास जानकारी और पहुँच दोनों हैं, तो नारंगी और नीले दोनों बॉक्स में बिंदी डालें।

समूहों द्वारा गतिविधि करने के बाद, सुविधाकर्ता प्रत्येक समूह से निम्नलिखित साझा करने के लिए कहेंगे:

- आपको किन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी थी?

- आपने इनमें से कितनी योजनाओं तक पहुँच बनाई है?
- आपको किन योजनाओं के बारे में सबसे कम जानकारी थी?
- आपको उनमें से किस तक पहुँचना मुश्किल लगता है और क्यों?
- सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली योजना कौन सी है और क्यों?

सुविधाकर्ता के लिए नोट:

सुविधाकर्ता उप-समूहों के जवाबों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे और जहाँ उचित हो, वहाँ कुछ बिंदु जोड़ेंगे। वे इस बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग के फंड, OSR और MGNREGS का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ प्रमुख कार्यक्रम (कृषि, बागवानी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकार और विभागीय कार्यक्रम) आदि का ज्ञान की कमी के कारण सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। VPRP में कई गतिविधियों को लागू करने के लिए इन विभागों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। इसलिए यह ज़रूरी है कि हितधारकों को उन योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में पता हो, जिनका इस्तेमाल बहुआयामी योजनाओं को विकसित करने और लागू करने के लिए किया जा सकता है।

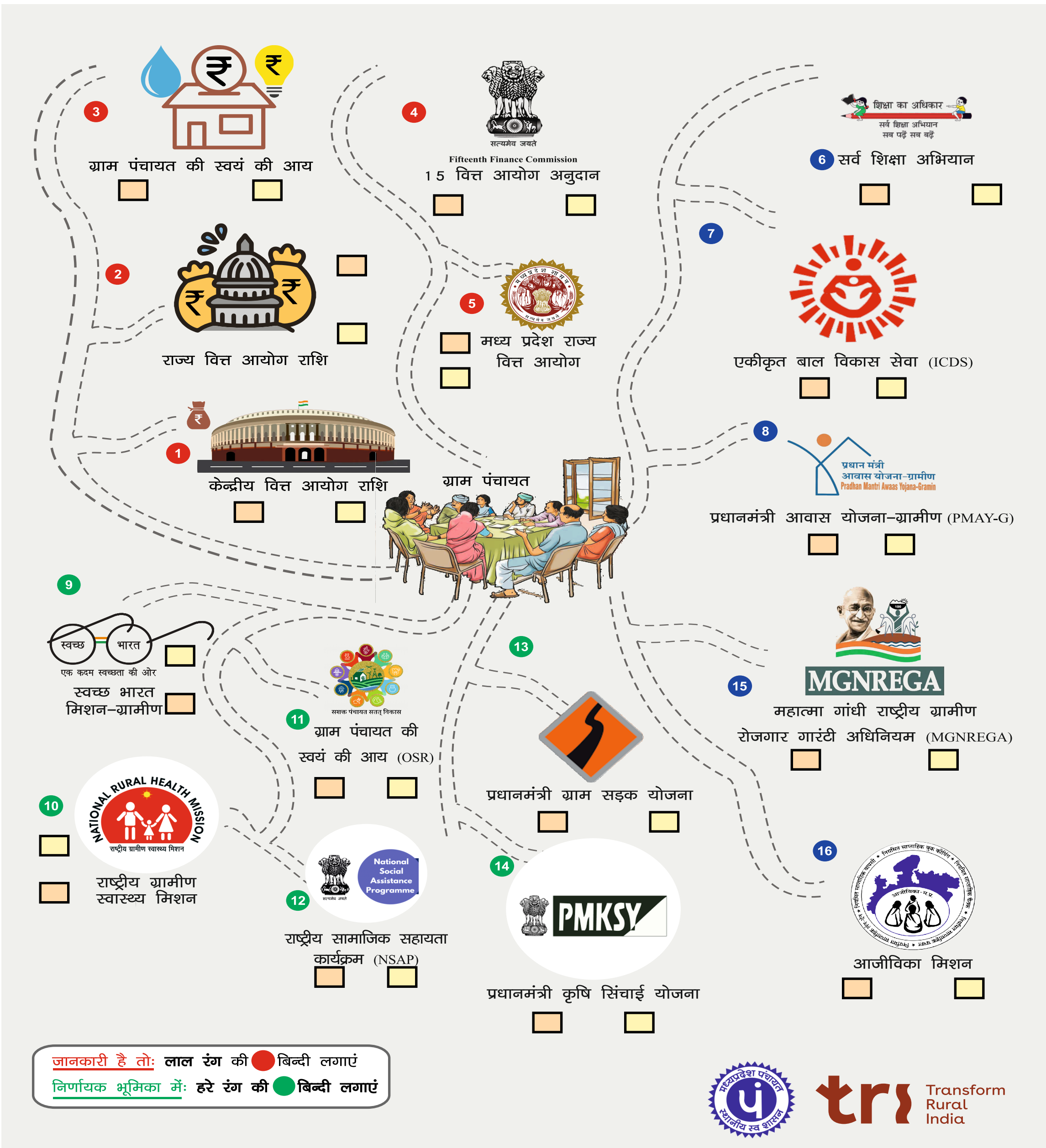

सत्र 3 – गुणवत्तापूर्ण जीपीडीपी: योजनाओं, विभागों और बजट का मानचित्रण

75 मिनट

अपेक्षित परिणाम:

- प्रतिभागी योजनाओं और विभागों को उपयुक्त गतिविधियों के साथ मैप करना सीखेंगे, जिससे योजना की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- प्रतिभागी विभिन्न लाइन विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समझ विकसित करेंगे और जानेंगे कि उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है।

गतिविधि 01: पिछले वर्षों के जीपीडीपी का विश्लेषण

अवधि: 25 मिनट

सुविधाकर्ता ईजीएस पोर्टल से कुछ योजनाएं प्रदर्शित करेंगे और उनका विश्लेषण प्रतिभागियों के साथ साझा करेंगे — दो अच्छी गुणवत्ता वाली योजनाएं और दो कम गुणवत्ता वाली योजनाएं।

वे यह पहचानने में प्रतिभागियों की मदद करेंगे कि किन योजनाओं में बजट, कार्यक्रम और विभागों के साथ गतिविधियों का उचित या अनुचित मैपिंग हुआ है।

चर्चा के बाद सुविधाकर्ता निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे:

- क्या इन योजनाओं को इस तरह से लागू किया जा सकता है?
- आपको क्या लगता है, इन योजनाओं में क्या सुधार किया जा सकता था?
- क्या आपको लगता है कि यदि योजनाएं सही ढंग से नहीं बनाई जातीं तो ग्रामीण नागरिकों को जीपीडीपी प्रक्रिया और उस पर विश्वास होता?
- क्या हम ग्रामीण भारत को बेहतर बना सकते हैं, यदि योजनाएं इस तरह से तैयार की जाएं?

तो आइए अगले सत्र में समझते हैं कि गतिविधियों, योजनाओं और विभागों को ठीक से कैसे संरेखित किया जाए।

सुविधाकर्ता के लिए नोट:

प्रशिक्षण सत्र से पहले, सुविधाकर्ता अच्छी और खराब गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत योजनाओं को पहचान लें या डाउनलोड कर लें, ताकि अंतिम समय की किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

गतिविधि 02: पहेली खेल

अवधि: 50 मिनट

सुविधाकर्ता पहले सत्र (गतिविधि पहचान प्रक्रिया) से सूचीबद्ध की गई गतिविधियों का उपयोग करेंगे।

इस गतिविधि के लिए प्रत्येक क्षेत्र से कम से कम 10 गतिविधियों को सूचीबद्ध करना आवश्यक है।

गतिविधियों, बजट स्रोतों, विभागों और योजनाओं का तालिका रूप में विवरण

गतिविधि का नाम	पंचायत बजट	विभाग	योजना
स्कूलों में लड़कियों के लिए प्रथक शौचालय का निर्माण	15वें वित्त आयोग (FC) ओएसआर (OSR)	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	स्वच्छ भारत अभियान नरेगा सांसद/विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

स्कूल के लिए चारदीवारी	15वें वित्त आयोग (FC) ओएसआर (OSR)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	नरेगा
आंगनवाड़ी केंद्र - रखरखाव / मरम्मत	15वें वित्त आयोग (FC) ओएसआर (OSR)	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास योजना
आंगनवाड़ी केंद्रों में टी.एच.आर. के लिए भंडारण सुविधाएं	15 वाँ वित्त आयोग, नरेगा, ओएसआर (OSR)	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास योजना
पेंशन योजनाएं	-	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनएसएपी) राज्य पेंशन योजना
कमजोर परिवारों के लिए आवास	-	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण); मुख्यमंत्री आवास भू-अधिकार योजना; आश्रय निधि
सड़क निर्माण	15वें वित्त आयोग (FC) ओएसआर (OSR)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना; नरेगा
लिंग आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता	-	महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	लोक अधिकार केंद्र, वन स्टॉप सेंटर
सभी घरों के लिए पेयजल आपूर्ति	15वें वित्त आयोग (FC)	सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	जल जीवन मिशन
कृषि उपज के लिए स्थानीय भंडारण सुविधाएं।	15वें वित्त आयोग (FC) ओएसआर (OSR)	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; नरेगा
सौर स्ट्रीट लाइट	15वें वित्त आयोग (FC) ओएसआर (OSR)	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	अटल ज्योति योजना

सुविधकर्ता के लिए नोट:

यह गतिविधि प्रतिभागियों को योजनाओं और विभागों के साथ गतिविधियों का प्रभावी रूप से मैप करने में सहायता करेगी। गतिविधि के पश्चात, सुविधकर्ता को एक सारांश प्रस्तुत करना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि गतिविधियों का सही मैपिंग क्यों महत्वपूर्ण है। उचित मैपिंग यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि जीपीसीसी (GPCC) और बीएलसीसी (BLCC) के पास विभागवार योजनाओं की स्पष्ट जानकारी हो, ताकि वे उन्हें प्रस्तुत कर सकें और उनके कार्यान्वयन की प्रभावी रूप से निगरानी कर सकें।

सत्र 4: जीपीडीपी मसौदे की तैयारी

75 मिनट

अपेक्षित परिणाम:

प्रतिभागियों को यह समझ विकसित होगी कि बजट और योजनाओं के साथ गतिविधियों को सही ढंग से मैप करते हुए, क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर प्राथमिकता तय करके बहुआयामी योजनाएं कैसे तैयार की जाती हैं।

इस सत्र में प्रतिभागी उपलब्ध "रिसोर्स एन्वेलप" का उपयोग करते हुए एक बजटीय जीपीडीपी ड्राफ्ट तैयार करेंगे। पंचायत क्षेत्र में बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत धन का प्रावधान किया गया है। ऐसी गतिविधियों को पंचायत को उपलब्ध बजट से वित्त पोषित किया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित प्राथमिकता वाली गतिविधियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी विशिष्ट योजनाओं से भी धन आवंटित किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य है कि पंचायत द्वारा पारित संकल्पों के आधार पर, 15वें वित्त आयोग की असंबद्ध राशि का 25% हिस्सा संकल्प आधारित गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

गतिविधि 01: फैसिलिटेटर नोट:

इस सत्र में "गतिविधि पहचान प्रक्रिया" सत्र के अंतर्गत पहचानी गई गतिविधियों का उपयोग किया जाएगा। प्रतिभागियों से सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करने, और फिर उन्हें इस आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा जाएगा कि कौन-सी गतिविधियाँ पंचायत, योजनाओं अथवा विभागों द्वारा वित्त पोषित की जा सकती हैं। इसके बाद उन्हें उपलब्ध बजट और योजनाओं के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रतिभागियों को वीपीआरपी (VPRP) के अंतर्गत सूचीबद्ध गतिविधियों का एक सेट प्रदान किया जाएगा और उनसे इन गतिविधियों को अंतिम ड्राफ्ट योजना में एकीकृत करने को कहा जाएगा। फैसिलिटेटर वीपीआरपी के घटकों को समझाने के लिए उपलब्ध संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

पात्रता	आजीविका	सार्वजनिक वस्तुएँ और सेवाएँ	सामाजिक विकास योजना**
मातृत्व लाभ तक पहुंच	किसान पंजीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बैंक ऋण, फसल हानि पर मुआवज़ा	स्कूलों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा	लिंग आधारित हिंसा के मामलों में कमी
पेंशन योजनाओं तक पहुंच	भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता	वीओ कार्यालय के निर्माण हेतु भूमि की मांग	बाल विवाह पर रोक
छात्रवृत्ति तक पहुंच	पट्टे पर कृषि भूमि की उपलब्धता	गुणवत्तापूर्ण टी.एच.आर. (Take Home Ration) तक पहुंच	कुपोषित बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच
पात्र परिवारों को जॉब कार्ड की उपलब्धता	कृषि तालाब निर्माण, मनरेगा के तहत वृक्षारोपण सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना	एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता	मादक द्रव्यों के सेवन पर रोकथाम व जागरूकता

सुविधाकर्ता नोट:

वीपीआरपी (विल्लेज प्रोस्पेरिटी एंड रेसिलिएंस प्लान / ग्राम समृद्धि एवं उद्वहन योजना) की गतिविधियों की सूची साझा करते समय इसके विभिन्न घटकों की स्पष्ट रूप से व्याख्या करें। **वीपीआरपी**, जिसे एसएचजी (स्वयं सहायता समूह) की महिलाओं द्वारा विकसित किया गया है, को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उसे **जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना)** में समाहित किया जा सके।

वीपीआरपी में निम्नलिखित प्रमुख योजनाएँ शामिल होंगी:

- आजीविका योजना
- पात्रता योजनाएँ
- सार्वजनिक वस्तुएँ और सेवाएँ
- सामाजिक विकास योजना
- पात्रता: दस्तावेज़ों का सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा,
- आजीविका: स्वयं, संगठन, बैंक द्वारा ऋण, विभाग, सरकारी योजनाएँ, ग्रामपंचायत नरेगा
- सार्वजनिक वस्तुएँ और सेवाएं: ग्रामपंचायत रिसोर्स एन्वलोप (संसाधन आवरण), प्रमुख योजनाएँ (flagship scheme), विभाग, अभिसरण,
- सामाजिक विकास योजनाएँ: बिना बजट की गतिविधि

उप-समूह अपनी प्राथमिकता वाली योजनाओं को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद, **सुविधाकर्ता** प्रत्येक योजना पर संक्षिप्त समीक्षा और आवश्यक प्रतिक्रिया देंगे। इसके बाद, वे **जीपीडीपी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए संकेतकों** की व्याख्या करेंगे।

गतिविधि 02: गुणवत्ता संकेतकों की रूपरेखा

सुविधाकर्ता संबंधित ग्राम पंचायत की पिछली योजनाओं को प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उनसे गुणवत्ता संकेतकों के आधार पर उनका विश्लेषण करने के लिए कहेंगे। चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा:

- मुख्य बिंदु
- छूटे हुए घटक
- तर्कसंगत बजट आवंटन
- योजना की उपयुक्त मैपिंग

सुविधाकर्ता जीपीडीपी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी **संकेतकों** की विस्तार से व्याख्या करेंगे। वे अनिवार्य प्रावधानों को समझाएँगे, जैसे:

- ग्राम पंचायत द्वारा पारित संकल्पों हेतु **15वें वित्त आयोग की असंबद्ध निधि का 25%** उपयोग
- **25% गतिविधियों का चयन विषयगत गतिविधि मास्टरशीट** से किया जाना आवश्यक है

इसके अलावा, वे यह भी बताएंगे कि **जिला स्तरीय समिति** के माध्यम से **रैंडम जांच (random verification)** के ज़रिए योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है।

पंचायती राज

Transform Rural India

गतिविधि 01: रोल-प्ले - आदर्श ग्राम सभा का आयोजन

दो समूहों को **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)** के अनुमोदन हेतु एक **आदर्श ग्राम सभा** आयोजित करने के लिए कहा जाएगा।

इसमें **जीपीपीएफटी** (Gram Panchayat Planning Facilitation Team) के सदस्य **मसौदा योजना, प्राथमिकताएं,** तथा **एकीकृत जीपीडीपी-वीपीआरपी** से चयनित या हटाई गई गतिविधियों के कारणों पर चर्चा करते हुए ग्राम सभा के समक्ष योजना प्रस्तुत करेंगे।

इस ग्राम सभा में जीपीपीएफटी सदस्य, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, तथा आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, पीएचसी, कृषि विभाग आदि के अधिकारी, साथ ही सीबीओ, सहकारी समितियाँ, किसान समूह इत्यादि भाग लेंगे।

परियोजना-वार विवरण और वीपीआरपी गतिविधियों सहित तैयार **अंतिम जीपीडीपी** को जीपी और जीपीपीएफटी सदस्य ग्राम सभा में प्रस्तुत करेंगे। चर्चा के आधार पर योजनाओं के अनुमोदन के साथ सभा का समापन किया जाएगा।

सभा में **पंचायत अध्यक्ष, सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य,** सभी **लाइन विभागों** के प्रतिनिधि और **समुदाय के अन्य सदस्य** उपस्थित होंगे।

सुविधाकर्ता के लिए नोट:

ग्राम पंचायत, अपने पंचायत क्षेत्र के सभी गांवों की योजनाओं को समेकित कर **ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)** तैयार करती है। एक बार जब यह योजना ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हो जाती है, तो ग्राम पंचायत उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती।

ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्यों की **प्राथमिकता में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।** आवश्यकता पड़ने पर इसमें दो या अधिक गांवों को जोड़कर संयुक्त गतिविधियाँ प्रस्तावित की जा सकती हैं।

गतिविधि 02: योजना क्रियान्वयन और निगरानी हेतु पोर्टल का महत्व

उद्देश्य:

ई-ग्राम स्वराज एवं अन्य संबंधित पोर्टलों के माध्यम से **जीपीडीपी ट्रैकिंग** की प्रक्रिया को समझाना और प्रदर्शित करना।

सामग्री:

लैपटॉप, प्रोजेक्टर, इंटरनेट कनेक्शन, लाइव साइट प्रदर्शन

प्रदर्शित किए जाने वाले पोर्टल:

1. **पंचायत निर्णय पोर्टल** – संकल्प, ग्राम सभा शेड्यूलिंग
2. **gpdp.nic.in** – नोडल अधिकारी, पंचायत फैसिलिटेटर, फीडबैक, ग्राम सभा, संकल्प, योजना अनुमोदन आदि
3. **ई-ग्राम स्वराज पोर्टल** – स्वीकृत योजनाएं, निर्मित परिसंपत्तियाँ, गतिविधि की स्थिति, व्यय विवरण

सुविधाकर्ता यह वीडियो दिखाकर समझाएँगे कि **ईजीएस पोर्टल में जीपीडीपी कैसे अपलोड करें** –

सुविधाकर्ता के लिए नोट:

यह पोर्टल पंचायतों के सूचना पट्ट की तरह है, लेकिन इसे ऑनलाइन माध्यम से एक व्यापक तौर पर देखा जा सकता है।

प्रत्येक नागरिक यह देख सकता है कि पंचायत में क्या निर्णय लिए गए, ग्राम सभा की तिथि क्या है, कौन-सी योजनाएं बनी हैं, और उनका क्रियान्वयन किस स्थिति में है।

जैसे-जैसे पोर्टल के विभिन्न घटकों को दिखाया जाए, प्रतिभागियों से पूछा जाए कि उन्हें यह जानकारी कैसे उपयोगी लगती है और वे इसे **पारदर्शिता और निगरानी के उपकरण** के रूप में कैसे उपयोग कर सकते हैं।

चर्चा हेतु संभावित प्रश्न:

1. आपकी पंचायत में योजना क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?
2. क्या पोर्टल पर दिख रही रिपोर्टें जमीनी क्रियान्वयन से मेल खाती हैं?

   (सुविधाकर्ता उस प्रतिभागी से विशेष रूप से पूछ सकते हैं जिसकी पंचायत की जीपीडीपी रिपोर्ट प्रदर्शित की गई थी)
3. आप योजना के क्रियान्वयन की प्रगति को कैसे ट्रैक करते हैं?
4. प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के कौन-कौन से तरीके या उपकरण उपलब्ध हैं?

इसके बाद, **ग्राम पंचायत समन्वय समिति (GPCC), ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति (BLCC)** और **जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC)** का परिचय दिया जाएगा।

सुविधाकर्ता, सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप इन समितियों की भूमिकाएं स्पष्ट करेंगे और बताएंगे कि ये समितियाँ **योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग** और **अभिसरण** को कैसे सुनिश्चित करती हैं।

सत्र 6 – चिंतन, प्रतिक्रिया एवं समापन सत्र

30 मिनट

अपेक्षित परिणाम:

इस सत्र में प्रतिभागी प्रशिक्षण से प्राप्त अपनी प्रमुख सीखों और अनुभवों को साझा करेंगे। इससे सुविधाकर्ता को यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रतिभागी विकास योजना तैयार करते समय किन बातों को व्यवहार में ला सकते हैं।

यह सत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य में उसमें सुधार या संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा।

गतिविधि 01: प्रतिभागियों से विचार-विमर्श

सुविधाकर्ता प्रतिभागियों को आमंत्रित करेंगे कि वे दो दिनों के प्रशिक्षण से जुड़े अपने विचार साझा करें। इसके अंतर्गत निम्नलिखित दो प्रश्न पूछे जाएंगे:

- इन दो दिनों में आपकी मुख्य सीख क्या रही?
- इस वर्ष योजना निर्माण में आप कौन-सी एक प्रमुख बात अवश्य लागू करेंगे?

सुविधाकर्ता कुछ प्रतिभागियों को अपने उत्तर **बड़े समूह** के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

इसके पश्चात प्रतिभागी **टीएमपी पोर्टल** से संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण करेंगे।

अंत में, सभी प्रतिभागियों को **प्रमाण पत्र** वितरित किए जाएंगे।

GIRLS CAN CHANGE THE World